



वार्षिक प्रशासनिक  
प्रतिवेदन  
वर्ष 2007–2008



मध्यप्रदेश शासन  
योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग



वार्षिक प्रशासनिक  
प्रतिवेदन  
वर्ष 2007–2008

मध्यप्रदेश शासन  
योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग

वार्षिक प्रशासनिक प्रतिवेदन  
वर्ष 2007-2008

मंत्रालय

माननीय मंत्री	— श्री राघव जी	— 8.12.2003 से निरंतर
सचिव	— श्री मनोज झालानी	— 25.8.2006 से निरंतर
उप सचिव	— श्री डी. पी. अहिरवार	— 29.7.2006 से निरंतर
अवर सचिव	— श्री एम. एल. करयाम	— 30.10.2006 से निरंतर

## विषय सूची

		पृष्ठ
अध्याय – 1	– योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग	01
अध्याय – 2	– राज्य योजना आयोग	04
अध्याय – 3	– आर्थिक एवं सांख्यिकी संचालनालय	10
अध्याय – 4	– मध्य प्रदेश जन अभियान परिषद्	16

मध्यप्रदेश शासन  
योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग

## अध्याय—1

### 1. विभाग की प्रशासनिक संरचना –

योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग की गतिविधियां, निम्नलिखित विभागाध्यक्ष कार्यालयों द्वारा संपादित की जाती है :

1. राज्य योजना आयोग
2. आर्थिक एवं सांख्यिकी संचालनालय

### 2. विभागाध्यक्ष –

#### (1) राज्य योजना आयोग –

राज्य योजना आयोग, जो योजना निर्माण हेतु गठित शीर्ष राज्य स्तरीय संस्था है, के पदेन अध्यक्ष माननीय मुख्यमंत्री हैं । राज्य योजना आयोग में एक उपाध्यक्ष तथा अंशकालिक सदस्यों की नियुक्ति का प्रावधान है ।

#### (2) आर्थिक एवं सांख्यिकी संचालनालय –

राज्य में आर्थिक एवं सांख्यिकी गतिविधियों के समन्वय, क्षेत्र सर्वेक्षण, विविध विषयों पर समंकों के एकत्रीकरण, सारणीयन एवं एकत्रित जानकारी के प्रस्तुतीकरण कार्य को संपादित करने हेतु राज्य, जिला एवं जनपद मुख्यालय पर विभिन्न संवर्गों के अधिकारी/कर्मचारी पदस्थ हैं ।

### 3. विभाग के अंतर्गत प्रतिपादित नीति संबंधी विषय –

1. पंचवर्षीय योजनाओं तथा वार्षिक योजनाओं का निर्माण, पुनरावलोकन तथा मूल्यांकन
2. उन परियोजनाओं/कार्यक्रमों, जो योजना में सम्मिलित नहीं हैं सहित परियोजनाओं/कार्यक्रमों का पूर्व मूल्यांकन तथा अनुमोदन ।
3. भावी योजना बनाना, जिसमें सामग्री, जनशक्ति तथा संसाधन योजना बनाना शामिल है तथा संसाधन तालिकाएं तैयार करना ।
4. सम्पूर्ण राज्य के लिये, साथ ही विभिन्न जिलों तथा क्षेत्रों के लिये सेक्टरों में विकास के स्तर का निर्धारण ।
5. पंचवर्षीय योजना के समग्र राष्ट्रीय उद्देश्यों की दृष्टि से राज्य के लिये प्राथमिकताओं का निर्धारण ।
6. स्थानिक और क्षेत्रीय (सेक्टरल) योजनाओं का एकीकृत राज्य योजनाओं के साथ संश्लेषण करना और उनके निर्मित रूप का योजना आयोग से संगत समन्वय करना ।
7. योजना प्रगति का परिवीक्षण, मूल्यांकन और योजना आयोग से संगत जानकारी एकत्रित करना ।
8. अनुसंधान तथा प्रशिक्षण ।

9. योजना आयोग से संबंधित समस्त विषय ।
10. अन्य विभागों को सौंपे गये विषयों को छोड़कर सांख्यिकी तथा आर्थिक अन्वीक्षा से संबंधित समस्त विषय ।
11. सामाजिक सर्वेक्षण तथा अन्वीक्षा ।
12. औद्योगिक सांख्यिकी जिसमें औद्योगिकी सांख्यिकी अधिनियम, 1948 तथा सांख्यिकी संग्रहण अधिनियम, 1953 का प्रशासन शामिल है
13. आर्थिक एवं सांख्यिकी अनुसंधान का प्रकाशन और प्रसार तथा उसके परिणामों का प्रकाशन ।
14. अन्य विभागों को सौंपे गये विषयों को छोड़कर राष्ट्रीय सूचना केन्द्र से संबंधित समस्त विषय ।
15. जन अभियान परिषद से सम्बन्धित विषय ।
16. बुन्देलखण्ड विकास प्राधिकरण से संबंधित कार्य ।
17. विधान सभा क्षेत्र विकास योजना निधि से संबंधित विषय ।
18. विधायक स्वेच्छानुदान निधि से संबंधित समस्त विषय ।
19. ऐसी सेवाओं से संबद्ध सभी विषय जिनका विभाग से संबध हो (वित्त विभाग तथा सामान्य प्रशासन विभाग को आवंटित किये गये विषयों को छोड़कर उदाहरणार्थ – नियुक्तियां, पदस्थापनाएं, स्थानांतरण, वेतन, अवकाश, निवृत्ति वेतन, पदोन्नतियां, भविष्य निधि, प्रतिनियुक्तियां, दण्ड, अभ्यावेदन तथा अपीलें) ।

#### 4. अधिनियम तथा नियम :

1. जन्म एवं मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1969
2. औद्योगिक सांख्यिकी (कारखाना अधिनियम, 1948)
3. सांख्यिकी संग्रहण अधिनियम, 1953
4. मध्य प्रदेश जिला योजना समिति अधिनियम, 1995 (क्रमांक 19, सन् 1995)
5. मध्यप्रदेश जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रीकरण नियम, 1973 संशोधित नियम 1999
6. मध्य प्रदेश जिला योजना समिति निर्वाचन नियम, 1995
7. मध्य प्रदेश जिला योजना उप समितियां (संरचना, कार्य, सदस्यों का कार्यकाल और कामकाज के संचालन की प्रक्रिया) नियम, 1995
8. मध्य प्रदेश जिला योजना समिति (यात्रा भत्ता) नियम, 1995
9. मध्य प्रदेश जिला योजना समिति (कामकाज के संचालन की प्रक्रिया) नियम, 1999

#### 5. विभाग के अधीन सेवायें:

1. मध्य प्रदेश राज्य योजना आयोग सेवा ।
2. मध्य प्रदेश राज्य आर्थिक तथा सांख्यिकी (राज पत्रित) सेवा
3. मध्य प्रदेश आर्थिक एवं सांख्यिकी कार्यपालिक सेवा ।
4. मध्यप्रदेश आर्थिक एवं सांख्यिकी अनुसचिवीय सेवा ।
5. मध्यप्रदेश आर्थिक एवं सांख्यिकी चतुर्थ श्रेणी सेवा ।

## 6. वित्तीय प्रावधान एवं व्यय

वर्ष 2007-2008 में स्वीकृत बजट प्रावधान एवं व्यय की स्थिति निम्नानुसार है :-

(लाख रूपयों में)

क्र.	कार्यालय	स्वीकृत बजट प्रावधान 2007-2008	पुनरीक्षित अनुमान 2007-2008	वास्तविक व्यय (31-12-07 की स्थिति)	प्रस्तावित बजट 2008-2009
1	2	3	4	5	6
<b>1. राज्य योजना आयोग</b>					
	(अ) राज्य योजना आयोग	189.50	187.50	95.39	400.00
	(ब) विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र विकास योजना	17787.00	17787.00	8085.09	17787.00
	(स) जनभागीदारी योजना	7097.25	7097.25	3327.22	8649.75
	(द) विधायक निधि स्वेच्छा-अनुदान	693.00	693.00	96.50	693.00
	(इ) बुन्देलखण्ड विकास प्राधिकरण (सामान्य)	200.00	200.00	—	225.00
	(फ) नवाचार प्रोत्साहन	1950.00	1950.00	—	983.00
2.	<b>आर्थिक एवं सांख्यिकी अ- आयोजनेत्तर</b>	<b>1652.55</b>	<b>1630.28</b>	<b>664.84</b>	<b>1987.05</b>
	8048 जनगणना सर्वेक्षण तथा सांख्यिकी				
	1430-जन्म-मृत्यु सांख्यिकी	167.15	163.03	40.72	184.85
	0512 - राष्ट्रीय न्यादर्श सर्वेक्षण (एन. एस. एस.)	113.75	113.55	40.38	140.20
	<b>योग अ- आयोजनेत्तर</b>	<b>1933.45</b>	<b>1906.86</b>	<b>745.94</b>	<b>2312.10</b>
<b>ब- राज्य आयोजना</b>					
	6562- जन्म-मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1969 का प्रभावी कार्यान्वयन	30.00	30.00	29.19	58.00
	6564- जिला सांख्यिकी कार्यालयों का सुदृढीकरण	12.00	12.00	12.00	12.00
	6293- सांख्यिकी अमले का प्रशिक्षण कार्यक्रम	2.00	2.00	1.65	2.00
	8740- जीवनांक संभाग का सुदृढीकरण	3.80	3.80	1.41	3.80
	8808- सूचना प्रौद्योगिकी	20.20	20.20	—	19.20
	<b>योग ब-राज्य आयोजना</b>	<b>68.00</b>	<b>68.00</b>	<b>44.25</b>	<b>95.00</b>
	<b>स. जन अभियान परिषद मध्यप्रदेश</b>	<b>570.00</b>	<b>543.00</b>	<b>243.00</b>	<b>700.00</b>



## अध्याय-2

### राज्य योजना आयोग

#### विभागीय संरचना

राज्य के योजनाबद्ध तरीके से सर्वांगीण विकास करने, राज्य के संसाधनों का आंकलन कर उनका प्रभावी उपयोग सुनिश्चित करने, सामाजिक व आर्थिक विकास की राह में आने वाली रुकावटों को दूर करने तथा योजनाओं/कार्यक्रमों के क्रियान्वयन के सतत् अनुश्रवण, मूल्यांकन व पुनरावलोकन करने के उद्देश्य से राज्य योजना मण्डल का गठन दिनांक 24-10-1972 को एक संकल्प द्वारा किया गया था। इस वर्ष इसका नाम परिवर्तित कर राज्य योजना आयोग किया गया है। राज्य योजना आयोग का स्वरूप निम्नानुसार है :-

1. अध्यक्ष — माननीय मुख्यमंत्री, मध्यप्रदेश शासन
2. उपाध्यक्ष — राज्य शासन द्वारा मनोनीत
3. अंशकालीन सदस्य — राज्य योजना आयोग में अंशकालीन सदस्यों का प्रावधान है।
4. पदेन सदस्य —
  1. प्रभारी मंत्री, योजना, वित्त, अनुसूचित जाति, जनजाति विकास
  2. मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन
  3. प्रमुख सचिव, वित्त, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति
5. सदस्य सचिव — सचिव, मध्यप्रदेश शासन, योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग

#### राज्य योजना आयोग के स्वीकृत एवं भरे पदों की स्थिति

क्र.	पदनाम	वेतनमान	स्वीकृत पद	भरे पद	रिक्त पद	रिमार्क
1	2	3	4	5	6	7
1.	उपाध्यक्ष	म.प्र. शासन द्वारा निर्धारित शर्तों के अनुसार	1	1	—	—
<b>प्रथम श्रेणी</b>						
1.	सदस्य सचिव	संवर्गीय वेतनमान	1	1	—	—
2.	अपर सचिव	16400-22400+ विशेष वेतन	1	1	—	—
3.	अवर सचिव	10000-13500	1	1	—	—
4.	सलाहकार	संवर्गीय वेतनमान	2	1	1	—

क्र.	पदनाम	वेतनमान	स्वीकृत पद	भरे पद	रिक्त पद	रिमार्क
1	2	3	4	5	6	7
<b>द्वितीय श्रेणी</b>						
1.	सहायक सलाहकार	8000-13500	4	4	—	—
2.	लेखाधिकारी	8000-13500	1	1	—	—
3.	प्रशासकीय अधिकारी	6500-10500	1	1	—	—
<b>तृतीय श्रेणी</b>						
1.	निज सचिव	6500-10500	2	2	—	—
2.	निज सहायक	5500-9000	3	3	—	—
3.	शीघ्रलेखक श्रेणी-3	4500-7000	2	1	1	—
4.	सहायक सांख्यिकी अधिकारी	5500-9000	3	2	1	—
5.	अन्वेषक	4500-7000	7	7	—	—
6.	लेखापाल	4000-6000	1	1	—	—
7.	सहायक ग्रेड-1	4500-7000	2	2	—	—
8.	सहायक ग्रेड-2	4000-6000	4	3	1	—
9.	सहायक ग्रेड-3	3050-4590	6	6	—	—
10.	सुरक्षा गार्ड	3050-4590	4	2	2	—
11.	वाहन चालक	3050-4590	5	5	—	—
12.	जमादार/दफतरी	2610-3540	6	6	—	—
13.	भृत्य	2550-3200	12	12	—	—
14.	स्वीपर	2550-3200	1	1	—	—
15.	फर्राश	जिलाध्यक्ष द्वारा निर्धारित दर पर	1	1	—	—
16.	पार्ट टाइम स्वीपर	जिलाध्यक्ष द्वारा निर्धारित दर पर	—	—	—	—
	<b>योग</b>		<b>71</b>	<b>65</b>	<b>6</b>	<b>—</b>

## 2. राज्य योजना आयोग के दायित्व —

राज्य योजना आयोग के द्वारा निम्नलिखित कार्य संपादित किये जाते हैं :-

- (1) राज्य के संसाधनों का आंकलन एवं इनके समुचित उपयोग हेतु योजनाओं को तैयार करना ।
- (2) जिला योजना तैयार करने एवं उनको राज्य की योजना में सम्मिलित करने हेतु जिला योजना अधिकारियों को सहायता प्रदान करना ।
- (3) राज्य की आर्थिक स्थिति को प्रभावित करने वाले कारणों का पता लगाना एवं क्षेत्रीय असमानताओं को दूर करने हेतु सुझाव देना ।
- (4) योजना कार्यक्रमों के क्रियान्वयन की प्रगति का अनुश्रवण, मूल्यांकन एवं पुनरावलोकन करना और आवश्यकतानुसार नीतियों/उपायों में ऐसे समायोजनों की अनुशंसा करना ।
- (5) योजनाओं की प्राथमिकतायें निर्धारित करना ।
- (6) योजनाओं की स्वीकृति हेतु अनुशंसा करने के लिये गठित विभिन्न वित्तीय समितियों की बैठकों में भाग लेकर योगदान देना ।

### 3. राज्य योजना आयोग की प्रमुख गतिविधियाँ :

#### राज्य योजना –

राज्य योजना आयोग द्वारा भारत सरकार योजना आयोग के दृष्टिकोण पत्र मद्देनजर एवं राज्य की प्राथमिकताओं के आधार पर 11 वीं पंचवर्षीय योजना एवं वार्षिक योजना के प्रस्ताव तैयार किये जाते हैं । वर्ष 2007–08 के लिए योजना आयोग, भारत सरकार से चर्चा उपरांत रू. 12011.00 करोड़ की वार्षिक योजना का अनुमोदन किया गया है ।

राज्य योजना आयोग का एक महत्वपूर्ण कार्य योजनाओं एवं कार्यक्रमों की समीक्षा, अनुश्रवण एवं मूल्यांकन करना है । राज्य योजना आयोग के द्वारा वर्ष 2006–07 की वार्षिक समीक्षा तथा वार्षिक योजना 2007–08 की अर्द्धवार्षिक समीक्षा की जा चुकी है ।

#### जिला योजना –

मध्यप्रदेश शासन द्वारा लिये गये निर्णय अनुसार वर्ष 2002–03 से जिला स्तर पर योजना तैयार की जाकर राज्य स्तर पर जिलेवार, विभागवार व योजनावार समीक्षा करने का कार्य प्रारंभ किया गया है । राज्य योजना आयोग के मार्गदर्शन में समस्त जिलों की जिलेवार योजना वर्ष 2008–09 तैयार की गई है । जिलों की प्रस्तावित योजनाओं पर पहले विभिन्न कार्यकारी दलों से तथा बाद में उपाध्यक्ष, राज्य योजना आयोग से चर्चा उपरांत जिला योजनाओं को अंतिम रूप दिया गया है ।

#### जिला योजना समिति –

संविधान के 73वें संशोधन के संदर्भ में प्रदेश में त्रि-स्तरीय पंचायतों का गठन तथा नगरीय निकायों को भी जीवंत स्वरूप दिया गया है । जिले एवं निचले स्तर से नियोजन कार्य के लिये व्यवस्था निर्मित करने के लिए राज्य शासन द्वारा संविधान के अनुच्छेद-243 य, घ के अंतर्गत जिला योजना समितियों का प्रावधान किया गया है, जिनके अध्यक्ष राज्य शासन के द्वारा नामांकित मंत्री है । समिति में जिला पंचायत, नगर पालिकाओं के निर्वाचित सदस्य सहित 10 से 20 सदस्य होंगे । जिलाध्यक्ष, समिति के सदस्य सचिव हैं । इसके अतिरिक्त, लोक सभा तथा राज्य विधानसभा के सदस्य विशेष आमंत्रित के रूप में समिति के सम्मेलनों में सम्मिलित होते हैं । जिला योजना समिति अपने कर्तव्यों के निर्वहन के लिए उप-समितियां गठित कर सकेगी । विशिष्ट क्षेत्रों में निर्मित यह उप समितियां उन क्षेत्रान्तर्गत कराये जा रहे कार्यों/प्रयासों की निरन्तर समीक्षा एवं मॉनीटरिंग करने के साथ-साथ अपने विषयों से संबंधित सुझाव दे सकेगी ।

#### 4. वेबसाईट –

राज्य योजना आयोग से संबंधित जानकारी आयोग की वेबसाईट <http://www.mp.nic.planning> पर प्रदर्शित की जा रही है ।

## 5. राज्य योजनाएं :

### विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र विकास योजना :

29 जुलाई, 1994 से प्रदेश में विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र विकास योजना लागू की गई है । वर्तमान में योजनान्तर्गत मान. विधायकों को 77 लाख रुपये की राशि के पूंजीगत स्वरूप के निर्माण कार्यों की अनुशंसा करने का प्रावधान है । इस योजना में वर्ष 2006-07 में राशि रुपये 184.80 करोड़ एवं 2007-08 में रुपये 177.87 करोड़ का प्रावधान रखा गया है । वर्ष 2006-07 एवं 2007-08 में स्वीकृत एवं पूर्ण किये गये कार्यों का विवरण इस प्रकार है :-

(दिसंबर 2007 की स्थिति)

वर्ष	स्वीकृत कार्य	पूर्ण	प्रगति पर	अप्रारंभ
1	3	4	5	6
2006-07	14693	9849	4386	458
2007-08	8871	2172	4519	2180

आदिवासी उपयोजना एवं अनुसूचित जाति उपयोजना के तहत कराये गये कार्यों का विवरण :-

### मांग संख्या - 41

(दिसंबर 2007 की स्थिति)

वर्ष	स्वीकृत कार्य	पूर्ण	प्रगति पर	अप्रारंभ
2006-07	1739	1197	488	38
2007-08	1063	276	585	202

### मांग संख्या - 64

वर्ष	स्वीकृत कार्य	पूर्ण	प्रगति पर	अप्रारंभ
2006-07	2245	1722	462	60
2007-08	1525	392	790	343

### जनभागीदारी योजना :

योजना के तहत वित्तीय वर्ष 2006-07 में जिलों को प्रदाय आवंटन रु. 56.36 करोड़ में से मार्च 2007 तक रु. 50.01 करोड़ व्यय हुए । वर्ष 2007-08 में जिलों को आवंटित राशि रु. 68.27 करोड़ के विरुद्ध दिसंबर, 2007 तक रु. 31.09 करोड़ व्यय किये जा चुके हैं ।

जनभागीदारी योजनान्तर्गत वर्ष 2006-07 एवं 2007-08 में स्वीकृत एवं पूर्ण कार्यों का विवरण निम्नानुसार है :-

(दिसंबर 2007 की स्थिति)

वर्ष	स्वीकृत कार्य	पूर्ण	प्रगति पर	अप्रारंभ
1	3	4	5	6
2006-07	2436	1809	599	28
2007-08	1680	585	946	149

जनभागीदारी योजना के तहत आदिवासी उपयोजना एवं अनुसूचित जाति उपयोजना के तहत कराए गए कार्यों का विवरण :-

**मांग संख्या - 41**

(दिसंबर 2007 की स्थिति)

वर्ष	स्वीकृत कार्य	पूर्ण	प्रगति पर	अप्रारंभ
2006-07	536	425	111	—
2007-08	502	170	329	3

**मांग संख्या - 64**

वर्ष	स्वीकृत कार्य	पूर्ण	प्रगति पर	अप्रारंभ
2006-07	247	196	51	—
2007-08	175	67	99	9

**6. केन्द्र प्रवर्तित योजनायें :**

**सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना :**

प्रदेश में, वर्ष 2006-07 एवं 2007-08 में योजनान्तर्गत प्राप्त आवंटन एवं स्वीकृत कार्यों की प्रगति निम्नानुसार है :-

(दिसंबर 2007 की स्थिति)

वर्ष	आवंटन (करोड़ रु. में)	स्वीकृत कार्य	पूर्ण	प्रगति पर	अप्रारंभ
1	2	3	4	5	6
2006-07	69.00	5405	2975	2159	271
2007-08	36.00	1816	345	904	567

## 7. अभिनव योजनायें : –

### बुन्देलखण्ड विकास प्राधिकरण :

म.प्र. के बुन्देलखण्ड क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले जिलों सागर, टीकमगढ़, छतरपुर, दमोह, पन्ना एवं दतिया के तीव्र विकास हेतु बुन्देलखण्ड विकास प्राधिकरण का वर्ष 2007-08 से गठन किया गया है । इसका मुख्यालय सागर में है । वर्ष 2007-08 में रू. 2.00 करोड़ का प्रावधान विकास कार्यो हेतु किया गया है ।

### नवाचार को प्रोत्साहन :

प्रदेश में शासकीय एवं अशासकीय संस्थानों द्वारा जनहित में विभिन्न स्तरों पर सृजनात्मक ऊर्जा को प्रोत्साहित करने हेतु वर्ष 2007-08 से नवाचार प्रोत्साहन योजना प्रारंभ की गई हैं ।

### विधायक स्वेच्छानुदान :

वर्ष 2007-08 में मान. विधायकों के द्वारा स्वेच्छानुदान के रूप में सार्वजनिक प्रयोजन हेतु राशि प्रदाय करने के लिए प्रति विधानसभा क्षेत्र रू. 3.00 लाख के मान से प्रावधान राजस्व मद में किया गया है तदनुसार रू. 6.93 करोड़ का आवंटन जिलों को प्रदाय किया गया ।

## अध्याय – 3

### आर्थिक एवं सांख्यिकी संचालनालय

राज्य में सांख्यिकी गतिविधियों के समन्वय, क्षेत्र सर्वेक्षण, विविध विषयों पर समकों का एकत्रीकरण, सारणीयन एवं संकलित जानकारी के प्रस्तुतीकरण का कार्य संचालनालय द्वारा सम्पादित किया जाता है।

#### 2. आर्थिक एवं सांख्यिकी संचालनालय के दायित्व :

शासन की जन कल्याणकारी योजनाओं के सविन्यास, विकास से संबंधित आधारभूत समकों का संकलन तथा प्रशासकीय उपयोग हेतु वांछित सांख्यिकी का संकलन, सर्वेक्षण, विश्लेषण एवं मूल्यांकन आदि के द्वारा समाजार्थिक स्थिति का स्पष्ट एवं वास्तविक चित्रांकन करने का महत्वपूर्ण दायित्व आर्थिक एवं सांख्यिकी संचालनालय का है।

राज्य शासन ने संचालक, आर्थिक एवं सांख्यिकी को विभागाध्यक्ष के अतिरिक्त जन्म-मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1969 के अंतर्गत मुख्य रजिस्ट्रार (जन्म-मृत्यु) का दायित्व भी सौंपा है, जिसके परिपालन में संचालनालय द्वारा प्रदेश में जन्म-मृत्यु पंजीयन का कार्य ग्रामीण एवं नगरीय इकाईयों के माध्यम से कराया जा रहा है।

#### 3. संचालनालय के प्रमुख कार्य :

1. राज्य की अर्थव्यवस्था संबंधी प्रकाशन तैयार करना।
2. राज्यीय आय के स्थिर (1999-2000) एवं प्रचलित भावों पर सकल एवं शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद के अनुमान तैयार करना।
3. राज्य शासन के बजट का आर्थिक एवं उद्देश्यवार वर्गीकरण तैयार करना।
4. गणना एवं सर्वेक्षण संबंधी कार्य।
5. जन्म-मृत्यु पंजीयन कार्य।
6. राष्ट्रीय न्यादर्श सर्वेक्षण के अंतर्गत क्षेत्रीय कार्य।
7. पूंजी निर्माण के अनुमान तैयार करना।
8. समाजार्थिक विकास के अन्तर्राज्यीय, जिला एवं जनपदवार संकेतक तैयार करना।
9. प्रशासनिक क्षेत्र में नियोजन के अंतर्गत शासकीय एवं अर्द्ध-शासकीय, विश्वविद्यालय, सार्वजनिक उपक्रम, ग्रामीण एवं नगरीय स्थानीय निकायों के कर्मचारियों की गणना।

**विभागीय संरचना :**

संचालनालय, समस्त जिलों तथा विकास खण्ड स्तर पर तथा अन्य विभागों में पदस्थ अमले का विवरण निम्नानुसार है :-

क्र.	पदनाम	मुख्यालय		जिला		योग	भरे पद		
		स्वीकृत	सांख्येतर पद	स्वीकृत	सांख्येतर पद		मुख्यालय	जिला	प्रति-नियुक्ति पर पदस्थ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>राजपत्रित प्रथम श्रेणी</b>									
1.	संचालक	1	-	-	-	1	-	-	-
2.	अपर संचालक	1	-	-	-	1	-	-	-
3.	संयुक्त संचालक	4	-	7	-	11	3	7	1
4.	उप संचालक / चीफ प्रोग्रामर / जिला योजना अधिकारी	8	-	38	-	46	7	16	-
<b>द्वितीय श्रेणी राजपत्रित</b>									
1.	जिला सांख्यिकी अधिकारी / सहायक संचालक	18	-	48	-	66	7	21	3
2.	प्रोग्रामर	4	-	-	-	4	1	-	-
3.	लेखा अधिकारी	1	-	-	-	1	1	-	-
4.	सहायक संचालक (प्रशा.)	1	-	-	-	1	1	-	-
<b>तृतीय श्रेणी</b>									
1.	सहायक सांख्यिकी अधिकारी	94	-	244	-	338	95	204	29
2.	अन्वेषक / खण्डस्तर अन्वेषक	51	22	309	-	382	67	112	9
3.	संगणक	-	3	-	21	24	3	21	-
4.	सहायक प्रोग्रामर	7	-	7	-	14	4	-	-
5.	अधीक्षक	4	-	-	-	4	2	-	-
6.	सहायक ग्रेड-1	9	-	-	-	9	6	-	-
7.	सहायक ग्रेड-2	13	-	48	-	61	11	51	-
8.	सहायक ग्रेड-3	27	16	96	3	142	40	81	-
9.	केशियर / लेखापाल	-	1	-	-	1	1	-	-
10.	वरिष्ठ निज सहायक	1	-	-	-	1	1	-	-
11.	निज सहायक	1	-	-	-	1	1	-	-
12.	कनिष्ठ लेखा परीक्षक	3	-	-	-	3	2	-	-
13.	शीघ्रलेखक	6	-	7	22	35	3	22	-
14.	स्टेनोग्राफिस्ट	12	-	7	-	19	5	4	-
15.	पुस्तकाध्यक्ष	1	-	-	-	1	-	-	-
16.	वरिष्ठ कलाकार	-	1	-	-	1	1	-	-
17.	कलाकार	-	1	-	-	1	1	-	-
18.	फोटोग्राफर	-	1	-	-	1	1	-	-
19.	कै. पी. ओ. / व्हेरीफायर	-	3	-	-	3	3	-	-
20.	पंचरूम सुपरवाइजर	1	-	-	-	1	-	-	-
21.	वाहन चालक	2	-	37	-	39	1	33	-
<b>चतुर्थ श्रेणी</b>									
1.	सुपर वाइजर	1	-	-	-	1	-	-	-
2.	दफ्तरी	3	-	-	-	3	2	-	-
3.	मशीन मैन	-	1	-	-	1	1	-	-
4.	भृत्य	37	12	96	-	145	49	92	-
<b>आकस्मिकता निधि</b>									
1.	वाटर मैन कम फर्रिश / स्वीपर	2	4	-	7	13	-	11	-
2.	चौकीदार	2	-	-	-	2	-	-	-
3.	वाहन चालक	5	-	-	-	5	3	-	-
	<b>योग</b>	<b>320</b>	<b>65</b>	<b>944</b>	<b>53</b>	<b>1382</b>	<b>323</b>	<b>675</b>	<b>42</b>



### **अधीनस्थ कार्यालय :**

मध्यप्रदेश शासन, योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग के आदेश क्रमांक एफ-1-36/04/23/आसां दिनांक 1-3-2007 द्वारा सात संभागीय मुख्यालय स्थित जिला योजना एवं सांख्यिकी कार्यालयों का उन्नयन कर संभागीय, योजना एवं सांख्यिकी कार्यालय घोषित किये गये तथा संयुक्त संचालक को कार्यालय प्रमुख के रूप में पदस्थ किया गया है। 38 जिलों में जिला योजना अधिकारी, प्रथम श्रेणी तथा 3 जिलों में द्वितीय श्रेणी अधिकारी कार्यालय प्रमुख घोषित है ।

### **विभागीय पदोन्नतियाँ :**

प्रथम श्रेणी संवर्ग में 10 अधिकारियों, द्वितीय श्रेणी संवर्ग में 04 अधिकारियों तथा तृतीय श्रेणी संवर्ग में 44 कर्मचारियों को पदोन्नती दी गई है ।

### **विभागीय जाँच :**

विभागीय जांच से संबंधित प्रथम श्रेणी अधिकारी के विरुद्ध एक, द्वितीय श्रेणी अधिकारी के विरुद्ध एक, तृतीय श्रेणी के विरुद्ध एक तथा चतुर्थ श्रेणी के विरुद्ध एक प्रकरण वर्तमान में प्रचलित है ।

### **स्थानान्तरण :**

दिनांक 1-4-2007 से 31-12-2007 की स्थिति में 8 प्रथम श्रेणी अधिकारी, 9 द्वितीय श्रेणी अधिकारी, 54 तृतीय श्रेणी कार्यपालिक एवं अनुसचिवीय संवर्ग में तथा 6 चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के स्थानान्तरण आदेश जारी किये गये थे जिसमें से प्रथम श्रेणी-2, तृतीय श्रेणी-3 तथा चतुर्थ श्रेणी-4 के स्थानान्तरण निरस्त किये गये ।

### **न्यायालयीन प्रकरणों की स्थिति :**

दिनांक 31-12-07 तक 66 न्यायालयीन प्रकरणों में से 63 प्रकरणों में जबाबदावा प्रेषित किया जा चुका है, तथा 3 प्रकरणों में जबाबदावा प्रेषित करना शेष है, 3 प्रकरणों पर निर्णय हो चुका है ।

### **5. संसदीय एवं विधि विषयक कार्यों की जानकारी :**

वर्ष 2007 में 15 विधान सभा प्रश्न प्राप्त हुये थे, जिनमें 5, तारांकित एवं 10 अतारांकित प्रश्न थे । 15 विधानसभा प्रश्नों में से 11 प्रश्नों के उत्तर निर्धारित समयावधि में प्रस्तुत किये गये हैं । 4 विधानसभा प्रश्नों के उत्तर भेजे जाने शेष हैं, कोई विधेयक, शून्य कालीन सूचना, अपूर्ण उत्तर, एवं आश्वासन लंबित नहीं है ।

#### 6. वेबसाइट :

योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग की वेबसाइट पर विभाग के महत्वपूर्ण प्रकाशन, नियम इत्यादि की जानकारी प्रदर्शित की गयी है । विभाग की वेबसाइट का Address : <http://www.mp.gov.in/des> है ।

#### 7. वर्ष में आयोजित महत्वपूर्ण बैठकें :

1. दिनांक 13.8.2007 को संचालक आर्थिक एवं सांख्यिकी मध्यप्रदेश द्वारा समस्त संयुक्त संचालकों की जन्म-मृत्यु पंजीयन एवं अन्य कार्यों की समीक्षा बैठक आयोजित की गयी ।
2. दिनांक 29.9.07 को सचिव, योजना विभाग द्वारा समस्त जिला योजना अधिकारियों की जन्म-मृत्यु पंजीयन एवं अन्य विकास कार्यों की राज्य स्तरीय समीक्षा बैठक आयोजित की गयी ।

#### 8. प्रशिक्षण :

विभागीय प्रशिक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत विभिन्न तकनीकी विषयों पर 119 अधिकारियों/कर्मचारियों को, प्रशासन अकादमी म. प्र. भोपाल में प्रशिक्षण दिया गया । केन्द्रीय सांख्यिकीय संगठन, भारत शासन द्वारा आयोजित कनिष्ठ प्रमाण-पत्र पाठ्यक्रम के अन्तर्गत प्रशिक्षण में अधिकारियों एवं कर्मचारियों ने भाग लिया । जन्म-मृत्यु पंजीयन कार्य के संबंध में 7626 आंगनवाड़ी कार्यकर्ता/पंचायत सचिवों को प्रशिक्षण दिया गया ।

#### 9. नियमित प्रकाशन :

**(अ) संचालनालय स्तरीय प्रकाशन**

1. मध्य प्रदेश का आर्थिक सर्वेक्षण
2. मध्य प्रदेश प्रशासनिक क्षेत्र में नियोजन
3. मध्य प्रदेश का आय-व्ययक संक्षेप में
4. मध्य प्रदेश के राज्य घरेलू उत्पाद के अनुमान
5. मध्यप्रदेश राज्य के प्रमुख आंकड़े (फोल्डर) 2007
6. मध्यप्रदेश का सांख्यिकी संक्षेप (द्विवार्षिक)
7. वार्षिक जीवनांक सांख्यिकी
8. अन्तरराज्यीय समाजार्थिक विकास संकेतक
9. जिलेवार समाजार्थिक विकास संकेतक
10. मध्यप्रदेश में सकल स्थाई पूंजी निर्माण के अनुमान
11. मध्यप्रदेश के बजट का आर्थिक एवं उद्देश्यवार वर्गीकरण

**(ब) जिला स्तरीय प्रकाशन :**

1. जिला सांख्यिकी पुस्तिका
2. जिले के प्रमुख आंकड़े
3. जनपद के प्रमुख आंकड़े
4. जिला विकास पुस्तिका

**10. अभिनव योजनायें :-**

**जन्म-मृत्यु पंजीयन कार्य :**

राज्य में जन्म-मृत्यु पंजीयन की घटनाओं का पंजीयन ग्रामीण, नगरीय एवं स्वास्थ्य संस्थाओं के माध्यम से कराया जाता है । जन्म-मृत्यु पंजीयन हेतु इस वर्ष प्रक्रिया का सरलीकरण किया गया है । वर्ष में 0-10 वर्ष तक के अपंजीकृत बच्चों का पंजीकरण कर उन्हें जन्म प्रमाण पत्र वितरण किये गये है । जिसके अंतर्गत अभी तक लगभग 43 लाख जन्म प्रमाण पत्र वितरित किये गये ।

**गणना एवं सर्वेक्षण कार्य :**

भारत शासन के निर्देशानुसार राज्य में पांचवी आर्थिक गणना का कार्य पूर्ण किया गया । राष्ट्रीय न्यादर्श सर्वेक्षण के अंतर्गत 61वें दौर में किये गये सर्वेक्षण कार्य का वेलीडेशन का कार्य पूर्ण किया गया । 63वां दौर का क्षेत्रीय सर्वेक्षण का कार्य पूर्ण किया गया एवं 64वें दौर का क्षेत्रीय सर्वेक्षण का कार्य किया जा रहा है इसमें पारिवारिक उपभोक्ता व्यय, रोजगार एवं बेरोजगार और प्रवास संबंधी तथा शिक्षा में सहभागिता विषयों पर सर्वेक्षण किया जा रहा है ।

भारत शासन के निर्देशानुसार प्रदेश में यातायात सर्वेक्षण (गुड्स ट्रेफिक सर्वे) का कार्य दो चरणों में पूर्ण कराया गया ।

### **जन अभियान परिषद :**

स्वयं सेवी संस्थाओं के संदर्भ में भारत सरकार के द्वारा जारी नीति अनुसार स्वयं सेवी संस्थाओं के सशक्तिकरण हेतु मध्यप्रदेश शासन ने जन अभियान परिषद के माध्यम से स्वयं सेवी संस्थाओं के हित में कार्य करना प्रारंभ कर दिया है । जन अभियान परिषद को उक्त कार्य हेतु संचालनालय से अनुदान प्रदत्त करने की कार्यवाही सम्पादित की जाती है ।

## अध्याय – 4

### मध्य प्रदेश जन अभियान परिषद

स्वयं सेवी संस्थाओं के संदर्भ में भारत सरकार द्वारा स्वयं सेवी संस्थाओं के सशक्तिकरण हेतु जारी राष्ट्रीय नीति के अंतर्गत राज्य में पहल की गई है तथा जन अभियान परिषद् का सुदृढीकरण कर स्वयं सेवी संस्थाओं के हित में कार्य करना प्रारंभ कर दिया है।

#### 2. उद्देश्य :

जन अभियान परिषद के गठन का मुख्य उद्देश्य मध्यप्रदेश में स्वयं सेवी संस्थाओं को मजबूत कर इसे विकास की मुख्य धारा से जोड़ना, विकास के नये मॉडलों को विकसित करना तथा उन्हें विस्तारित होने के अवसर प्रदान करना है। प्रदेश में कई संस्थाएं छोटे रूप में बहुत अच्छा कार्य कर रही हैं किन्तु उनकी कोई पहचान और पहुंच नहीं हैं ऐसी संस्थाओं का विकास करना जन अभियान परिषद् का मुख्य उद्देश्य है।

#### 3. म.प्र. जन अभियान परिषद का स्वरूप :

अध्यक्ष	–	मुख्यमंत्री, मध्यप्रदेश
उपाध्यक्ष	–	मुख्यमंत्री द्वारा नामांकित मध्यप्रदेश शासन के मंत्री
उपाध्यक्ष	–	उपाध्यक्ष, मुख्यमंत्री द्वारा नामांकित अशासकीय व्यक्ति
सदस्य	–	<ol style="list-style-type: none"><li>1. मंत्री, स्कूल शिक्षा विभाग</li><li>2. मंत्री, समाज कल्याण विभाग</li><li>3. मंत्री महिला एवं बाल विकास विभाग</li><li>4. मंत्री, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग</li><li>5. मंत्री, ग्रामोद्योग विभाग</li><li>6. मंत्री, वित्त विभाग</li><li>7. मंत्री, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग</li></ol>

8. मंत्री, स्थानीय शासन
9. मंत्री, नगरीय कल्याण विभाग
10. मंत्री लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग
11. मंत्री, जनशक्ति नियोजन विभाग
12. मंत्री, गृह विभाग
13. मंत्री, पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग
14. सभापति कार्यकारिणी सभा

शासन द्वारा मनोनित प्रतिष्ठित स्वयं सेवी संस्थाओं के 15 प्रतिनिधि, जिनमें कम से कम 3 महिलायें एवं 3 अनुसूचित जनजाति एवं अनुसूचित जाति एवं अल्पसंख्यक वर्ग के प्रतिनिधि होना अनिवार्य होगा। प्रत्येक संभाग से कम से कम एक स्वयंसेवी संस्था को प्रतिनिधित्व दिया जावे।

सचिव, ग्रामीण क्षेत्र एवं रोजगार मंत्रालय, भारत शासन या उनके द्वारा मनोनित एक प्रतिनिधि। महानिदेशक, कपार्ट या उनके द्वारा मनोनित एक प्रतिनिधि।

#### **सदस्य सचिव :**

सचिव, राज्य शासन द्वारा नियुक्त अधिकारी, जो संस्था के कार्यपालक निदेशक भी होंगे।

#### **विभागीय नियुक्तियां :**

वर्ष 2007-08 में राज्य स्तर पर 9, संभाग स्तर पर 35 तथा जिला स्तर पर 104 नियुक्तियां की गई हैं। खण्ड स्तरीय अमले की नियुक्तियों की कार्यवाही प्रचलित है।

#### **4. मध्यप्रदेश जन अभियान परिषद के दायित्व :**

सरकार जनता और स्वयंसेवी संस्था के बीच सेतु का काम करती है म.प्र. जन अभियान परिषद द्वारा म.प्र. की लगभग पांच हजार योग्य स्वयंसेवी संस्थाओं से सम्पर्क कर उनका पंजीयन कराया गया है तथा ई-डायरेक्ट्री एवं वेब-साइट का निर्माण किया जा रहा है।

5. विभागीय संरचना :

मध्यप्रदेश जन अभियान परिषद् में स्वीकृत पदों का विवरण निम्नानुसार है :-

पद नाम	पद संख्या	नियुक्ति
<b>राज्य स्तरीय अमला</b>		
1. कार्यपालक निदेशक	1	प्रतिनियुक्ति
2. निदेशक प्रशासन	1	प्रतिनियुक्ति
3. निदेशक सेल	4	संविदा
4. क्षेत्रीय निदेशक	2	संविदा
5. उप-निदेशक	2	संविदा
6. कार्यक्रम अधिकारी	1	संविदा
7. टॉस्क मैनेजर सेल	12	संविदा
8. लेखाधिकारी	1	प्रतिनियुक्ति
9. अन्वेषक	1	संविदा
10. कम्प्यूटर प्रोग्रामर	1	संविदा
11. स्टेनो	1	संविदा
12. लेखापाल	3	संविदा
13. सहायक ग्रेड-1	1	संविदा
14. सहायक ग्रेड-2	1	संविदा
15. सहायक ग्रेड-3	1	संविदा
16. कम्प्यूटर ऑपरेटर	7	संविदा
17. डाटा एन्ट्री ऑपरेटर	2	संविदा
<b>संभाग स्तरीय अमला</b>		
1. जॉनल समन्वयक	7	संविदा
2. लेखापाल	7	संविदा
3. डाटा एन्ट्री ऑपरेटर	7	संविदा
4. लिपिक	7	संविदा
भृत्य	7	संविदा
<b>जिला स्तरीय अमला</b>		
1. जिला समन्वयक	48	संविदा
2. लेखापाल सह लिपिक	48	संविदा
3. डाटा एन्ट्री ऑपरेटर	48	संविदा
4. भृत्य	48	संविदा
<b>ब्लाक स्तरीय अमला</b>		
1. ब्लाक समन्वयक	313	संविदा

6. जन अभियान परिषद् की योजनायें

1. नवांकुर : राज्य में नवीन स्वयंसेवी संस्थाओं का उन्मुखीकरण एवं पोषण करना परिषद् की एक प्रमुख गतिविधि है। इसके लिए प्रतिवर्ष प्रत्येक विकासखण्ड में एक, जिला मुख्यालय पर एक, संभाग मुख्यालयों पर तीन, तीन बड़े शहरों-इन्दौर, ग्वालियर और जबलपुर में पाँच तथा राज्य की राजधानी भोपाल में दस नवांकुरित संस्थाओं का चयन कर उनकी रूचि, क्षमता और

जरूरतों के अनुसार प्रथम वर्ष में रू. 50 हजार, द्वितीय वर्ष में एक लाख और तृतीय वर्ष में दो लाख का वित्तीय पोषण किया जाएगा। यह पोषण जन अभियान परिषद् द्वारा सीधे अथवा किसी अन्य स्वयंसेवी संस्था के माध्यम से किया जाएगा। इस सहायता का उपयोग क्षमता वृद्धि समुदाय को संगठित करने एवं प्राकृतिक संसाधनों के उपयोग हेतु की जाएगी।

**2. प्रस्फुटन** – किसी भी गाँव का विकास तब तक नहीं हो सकता जब तक विकास के लिये अग्रणी व्यक्ति स्थानीय न हो। प्रत्येक ग्राम में कुछ ऐसे लोग होते हैं जो स्वावलम्बन की दिशा में कार्य करते हैं। समाज की इसी स्वेच्छिक प्रवृत्ति को प्रोत्साहन देने हेतु प्रतिवर्ष, प्रत्येक विकासखण्ड में 10 नये गांवों का चयन किया जायेगा। गाँव में चिन्हित सक्रिय समूह को तीन वर्षों के लिए प्रतिमाह रूपये एक हजार दिये जाएंगे। इस राशि में प्रत्येक वर्ष रूपये पांच सौ की वृद्धि की जा सकेगी। तीन वर्षों के भीतर इनमें 10 से 25 प्रतिशत गांवों में, वृहद स्वेच्छिकता पैदा हो सकेगी और सक्रिय समूह एक स्वयंसेवी संस्था में परिवर्तित हो जाएंगे।

**3. सृजन** – ग्रामीण अंचलों में लोगों के पास पारंपरिक ज्ञान और कौशल का अथाह भण्डार है। क्षमता और सृजनात्मकता के धनी इन लोगों को जहाँ एक ओर आर्थिक संकट का सामना करना पड़ता है वहीं दूसरी ओर इसका लाभ जनता तक व्यापक रूप से नहीं पहुँच पाता है। प्रत्येक जिले में ऐसे व्यक्ति चिन्हित कर आवश्यकता अनुसार अशंदान देकर ऐसे सृजनात्मक कार्यों को व्यवसायिक स्तर पर स्थापित किया जा सकता है।

**4. दृष्टि** – राज्य के समस्त पंजीबद्ध संस्थाओं का पंजीयन कर उनका परीक्षण व मूल्यांकन उनकी शक्ति, कमजोरियों व अवसरों का उनके कार्यालयीन एवं मैदानी कार्य तथा उनकी वार्षिक रिपोर्ट साथ ही अन्य प्रकाशित दस्तावेजों के आधार पर किया जायेगा। यह आगामी वर्षों में विभिन्न-कार्यक्रमों हेतु प्रदेश के अलग-अलग क्षेत्रों में स्वयंसेवी संस्थाएँ उपलब्ध कराने का आधार बनेगा। स्वयं सेवी संस्थाओं के मूल्यांकन उपरांत आवश्यक प्रशिक्षणों का केलेण्डर भी जारी किया जावेगा।

**5. संवाद** – इस कार्यक्रम में स्वयंसेवी संस्थाओं के साथ मिलकर उनके क्षमतावृद्धि के लिए प्रशिक्षण, संगोष्ठी और कार्यशालाओं का आयोजन किया जायेगा। संवाद, संचार, अभिप्रेरणा और सूचना संप्रेषण के उद्देश्य से आयोजित ये गतिविधियाँ राज्य, संभाग, जिला और खण्ड स्तर पर होगी।